पर्चा डिक्री

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरपुरिया

प्रकरण सं0 : 59/2021

1. दयाराम पि0मु0 बुधराम जाति जाट निवासी हुणतपुरा त0 भादरा।

:–

**वादी**

**ब ना म**

1. बुधराम पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी हुणतपुरा त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

**:– प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत बिजारणियां की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा हुणवतपुरा के खाता सं0 48/47 के खसरा न0 19 की 8.815है0 खसरा सं0 117 की 9.119है0 कुल 17.934है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बुधराम के नाम से 5.603है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 बुधराम की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 बुधराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी दयाराम व प्रतिवादी सं 1 बुधराम के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05-03-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

R.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:18:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 59/2021

1. दयाराम पि0मु0 बुधराम जाति जाट निवासी हुणतपुरा त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. बुधराम पुत्र श्रीचन्द जाति जाट निवासी हुणतपुरा त0 भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुंशीराम गोस्वामी: वादीगण

वकील श्री सुरजीत बिजारणीया : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 05-03-2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा हुणवतपुरा के खाता सं0 48/47 के खसरा न0 19 की 8.815है0 खसरा सं0 117 की 9.119है0 कुल 17.934है0 वारानी खातेदारी में प्रतिवादी बुधराम के नाम से 5.603है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा श्रीचन्द की खातेदारी हुआ करती थी। श्रीचन्द के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 बुधराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवाद हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादी को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 2 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:18:53 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यू 1 दयाराम [illegible] पुत्र [illegible]राम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि [illegible] 2076–79 प्रदर्श [illegible] जमाबंदी रोही हुणवतपुरा संवत [illegible] प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीग ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी प्रतिवादी सं 1 का रजिस्टर्ड दत्तक पुत्र है तथा वाद भूमि प्रतिवादी बुधराम को अपने पिता श्रीचन्द से विरासतन प्राप्त हुई है इस प्रकार वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद



Scanned with CamScanner

भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पडता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही कणाउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही हुणवतपुरा संवत 2076–79 प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही हुणवतपुरा संवत 2029–38 प्रदर्श 2 गोदनामा प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाये जिसमें प्रदर्श 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है व प्रदर्श 3 से वादी दयाराम प्रतिवादी बुधराम का दत्तक पुत्र है तथा प्रदर्श 4 में वारिस प्रमाण के अनुसार बुधराम के एक पुत्र दयाराम व इसके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 जन्म से हक हिस्सा निहित है । इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

## कियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा हुणवतपुरा के खाता सं0 48/47 के खसरा न0 19 की 8.815है0 खसरा सं0 117 की 9.119है0 कुल 17.934है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी बुधराम के नाम से 5.603है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 बुधराम की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 बुधराम को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी दयाराम व प्रतिवादी सं 1 बुधराम के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05-03-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:18:53 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner